(33)

दस रुपये COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES Rs.10

पाँच रुपये COURT FEE भारत INDIA FIVE RUPEES Rs.5

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल {म.प्र.}

प्र.क्र. /2015-16 निगरानी नि -1257- I -16

रामकृष्ण उर्फ भूरा पुत्र लालाराम अहिरवार
निवासी ग्राम अंडिया तह. गुलाबगंज
जिला - विदिशा, म.प्र.....आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन...........अनावेदक

~~[illegible]........[illegible]~~

अशोक कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
रजि नं. 689A78

अशोक कुमार अधिवक्ता द्वारा कैम्प भोपाल प्राप्त
13/1/16

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 17.12.15 प्र.क्र. 62/अ-6/14-15
न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज रामकृष्ण उर्फ भूरा बनाम शासन
= =

माननीय महोदय ,

निवेदन है कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-

1. यह कि, आवेदक रामकृष्ण उर्फ भूरा पुत्र लालाराम अहिरवार निवासी अंडिया कला ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के आधार पर फौती नामांतरण हेतु सर्वे क्र. 69/2 रकबा 1.222 हे. भूमि पर फौती नामांतरण कराने हेतु खातेदारे बल्ला द्वारा की गई वसीयत के आधार पर आवेदन पेश किया है आवेदन के साथ बल्लाकके मृत्यु दिनांक 06.10.11 का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा दिनांक 12.04.2006 की नकल पेश की एवं नामांतरण कराने का आवेदन किया प्रकरण के गतिशील रहते हुए धीर सिंह पुत्र बद्रीप्रसाद ने आदेश {1} नियम 10 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया एवं विवाद ग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना व्यक्त किया निगरानीकर्ता द्वारा जबाव एवं आपत्ति करने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। बहस उपरांत माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने एक न्याय दृष्टांत का उपयोग कर न्याय दृष्टांत 1989 राजस्व निर्णय 322 का उल्लेख कर धीर सिंह को पक्षकार बना लिया जबकि अधिनस्थ न्यायालय में आवेदक ने अपने तर्क में बताया था कि कब्जा होने बावत धीर सिंह द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार नही बनाया जा सकता किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने 1989 आरएन 322 क हवाला देकर आवेदक के आपत्ति निरस्त कर धीर सिंह को पक्षकार बनाया आदेश होने कबाद आवेदक ने न्यायालय को बताया कि

....2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1257-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	